



## भूमि सुधार उप समाहर्ता का कार्यालय, पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

नामान्तरण अपील वाद संख्या :- 05/2015-16

### आदेश

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
	<p>प्रस्तुत वाद की कार्यवाही आवेदक (1) प्रशान्त कुम्भकार (2) सूरज कुम्भकार, दोनों का पिता स्व० मकरध्वज कुम्भकार, निवासी पुरानबस्ती, वार्ड नं०-02, पो०+थाना चक्रधरपुर जिला प० सिंहभूम के आवेदन पर नामान्तरण वाद सं०-462/2012-13 में अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के आदेश दिनांक 15.01.2013 के विरुद्ध दिनांक 11.09.2015 को नामान्तरण अपील वाद संख्या-05/2015-16 प्रारंभ किया गया था। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि श्रीमती सहोदरा कुम्भकार, पति भिखारी कुम्भकार, निवासी वार्ड नं०-02, पो०+थाना चक्रधरपुर जिला प० सिंहभूम के द्वारा निबंधित केवाला संख्या 748 दिनांक 18.12.2013 के द्वारा क्रेता श्री अरविन्द कुम्भकार को नियमानुसार हस्तांतरित किया है। अपीलार्थी जो विक्रेता के पति के सम्पत्ति में Co-sharer है, ने बताया कि प्रश्नगत भूमि एवं अन्य भूमि का विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है। अतः विक्रेता को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह बिना बंटवारा के भूमि का हस्तांतरण कर दें।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों के आलोक में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत में उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा-6 के तहत Coparcenary नियम के तहत सम्पत्ति में जन्मजात अधिकार प्राप्त होते हैं। भिखारी कुम्भकार को नियम के तहत में प्रश्नगत भूमि में Undefined हिस्सा प्राप्त था और इनके मरनोपरांत उनकी पत्नी सहोदरा कुम्भकार क्लास-I Heir होने के नाते उनके हिस्से की जमीन पर पूरा स्वामित्व प्राप्त हो गया है। Notional Partition प्रश्नगत भूमि पर अपने वैधिक अधिकार एवं स्थल पर भौतिक दखल कब्जा के आधार पर भूमि का हस्तांतरण निबंधित केवाला के द्वारा क्रेता को किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने नामान्तरण प्रक्रिया के दरम्यान प्रश्नगत भूमि के दखल कब्जा पर राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन मांगा था। उपरोक्त दोनों सरकारी कर्मों ने क्रेता के प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा को सम्पुष्ट किया है।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के आदेश को बहाल रखते हुए अपीलार्थी के आवेदन को <b>खारिज</b> किया जाता है।</p> <p>आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराते हुए इसकी प्रति अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को उपलब्ध करावें।</p> <p style="text-align: center;">आदेश को Online करें।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               28.4.15              भूमि सुधार उपसमाहर्ता              पोड़ाहाट चक्रधरपुर         </div> <div style="text-align: center;">               28.4.15              भूमि सुधार उप समाहर्ता              पोड़ाहाट चक्रधरपुर।         </div> </div>	